

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:-144 / 2023(14 सिक्योरिटाइजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय-तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर. राजस्थान -302001

---प्रार्थी

बनाम

1. कंधारी प्रेट्रो पॉइंट (प्रतिनिधित्व पार्टनर आरूष अरोरा एवं अशोक कुमार अरोरा)
-चक नं. 12, वार्ड नं. 3, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान एवं वार्ड नं. 17, भूतना वाली गली, अग्रवाल धर्मशाला, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
---(मूलऋणी)
2. नरेश एण्ड कंपनी (प्रतिनिधित्व मालिक अशोक कुमार)-प्लॉट नं. 134, ब्लॉक-जे, धान मंडी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान एवं चक नं. 12, वार्ड नं. 3, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. दर्शन कुमार धर्मपाल (प्रतिनिधित्व पार्टनर आरूष अरोरा एवं कमल दीप कंधारी)
-शॉप नं. 183, ब्लॉक - एन, धान मंडी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान एवं चक नं. 12, वार्ड नं. 3, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान।
---(सहऋणी बंधकग्रहिता)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश

दिनांक:-10.07.2024

प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड जयपुर की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.05.2022 को 'लोन एग्रीमेन्ट' के तहत 95,00,000/-रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। व्यवसायिक प्लॉट नं. 134, ब्लॉक - जे, धान मंडी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फिट में स्थित है, जो कि नरेश एण्ड कंपनी (प्रतिनिधित्व मालिक अशोक कुमार पुत्र परसराम कंधारी) के नाम से जारीशुदा है एवं व्यवसायिक प्लॉट नं. 183, ब्लॉक - एन, धान मंडी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फिट में स्थित है, जो कि दर्शन कुमार धर्मपाल (प्रतिनिधित्व रेशम लाल पुत्र परसराम कंधारी) के नाम से जारीशुदा हअप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 15.03.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 96,59,302/-रूपये (अखरे छियानवे लाख उनसठ हजार तीन सौ दो रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 03.04.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 06.06.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 06.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'प्रातःकाल व इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक 04.07.2023 को



जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान वावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति 'व्यवसायिक प्लॉट नं. 134, ब्लॉक-जे, धान मंडी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फिट एवं व्यवसायिक प्लॉट नं. 183, ब्लॉक - एन, धान मंडी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फिट', जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



01
जिला मजिस्ट्रेट
जिला
हनुमानगढ़